



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228335
CG-DL-E-16072021-228335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]
No. 393]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2021/आषाढ़ 25, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 491(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सा.का.नि. सं. 161(अ) दिनांक 9 मार्च, 2021 में, भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोप किए जाने वाले कार्यों के अलावा, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 22.3.2022 तक की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से एक सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल, मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष
- (ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर, सदस्य
- (iii) माननीय सुश्री न्यायमूर्ति ज्योति सिंह, सदस्य

[फा. सं. पीडी-13004/01/2019-कोफेपोसा]

नरेश कुमार, उप सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 9 मार्च, 2021 की अधिसूचना, जीएसआर सं.161(अ) को भारत के राजपत्र (अ) भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में 9 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2021

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 161(E) dated 9th March, 2021 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board with immediate effect for a period upto 22.3.2022, consisting of :-

- (i) Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Chief Justice, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice C. Hari Shankar, Member
- (iii) Hon'ble Ms. Justice Jyoti Singh, Member

[F. No. PD-13004/01/2019-COFEPOSA]

NARESH KUMAR, Dy. Secy.

Footnote : The Notification G.S.R. No. 161(E) dated 9th March, 2021 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 9th March 2021.